अति - आवश्यक

राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

कमांकः– एफ13 / 1 / 3 / वे.पो. / वीएस / डीईएस / 2013 / [illegible] दिनांकः [illegible]

जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु)एवं
उप निदेशक / सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
जिला.........................................................

विषयः–जन्म–मृत्यु पंजीकरण रिकार्ड का डिजिटाईजेशन एवं स्केनिंग कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार जन्म–मृत्यु पंजीयन संबधी गत दस वर्षो के रिकार्ड का डिजिटाईजेशन एवं स्केनिंग कराया जाना है। राज्य में जन्म–मृत्यु पंजीकरण कार्य को ऑन लाईन कराने हेतु वेब पोर्टल "पहचान" प्रारंभ कर 1 जनवरी, 2014 से जन्म–मृत्यु की घटनाओं का पंजीयन इस वेब–पोर्टल के माध्यम से करने के पूर्व में निर्देश जारी किये गये हैं।

जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के प्रावधानों के अनुसार जन्म–मृत्यु की पूर्व पंजीकृत घटनाओं के रिकार्ड के आधार पर आवेदक द्वारा चाहे जाने पर वांछित प्रमाण पत्र की अतिरिक्त प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है, इस कार्य को ई–मित्र / सी.एस. सी. के माध्यम से कराये जाने का निर्णय राज्य स्तर से लिया गया है, जिसके लिए सूचना एवं प्रौधोगिकी विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये जा चुके है। (प्रति संलग्न) इस बाबत शासन सचिव आयोजना के पत्रांक 5939 दिनांक 12.2.2014 के द्वारा भी सभी जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया है कि वे अपने जिले के संबंधित अधिकारी से इस कार्य को समयबद्व करवायें। अतः पत्र के साथ संलग्न विस्तृत दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु)एवं
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,जयपुर

कमांकः— एफ13/1/3/वे.पो./वीएस/डीईएस/2013/ दिनांकः

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान,जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकरी जिला परिषद..................................।
3. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,शासन सचिवालय,जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना एवं प्रौधोगिकी विभाग,जयपुर।

मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म—मृत्यु)एवं
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,जयपुर

## जन्म–मृत्यु पंजीकरण से संबंधित रिकार्ड का डिजिटाईजेशन एवं स्केनिंग की प्रकिया बाबत दिशा निर्देश

1. राज्य में जन्म–मृत्यु पंजीकरण कार्य को ऑन लाईन कराने हेतु वेब पोर्टल "पहचान" प्रारंभ किया जाकर सभी रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) को 1 जनवरी,2014 से जन्म–मृत्यु की घटनाओं का पंजीयन इस वेब–पोर्टल के माध्यम से ही करने के निर्देश जारी किये गये है। भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार जन्म–मृत्यु पंजीयन संबधी गत वर्षों के रिकार्ड का डिजिटाईजेशन एवं स्केनिंग कराया जाना है। इस कार्य को ई–मित्र/सी.एस.सी. के माध्यम से कराये जाने का निर्णय राज्य स्तर से लिया गया है, जिसके लिए सूचना एवं प्रौधोगिकी विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किये जा चुके है। (प्रति संलग्न)
2. उक्त कार्य को आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं सूचना एवं प्रौधोगिकी विभाग के द्वारा संयुक्त अभियान के रूप में संपादित किया जायेगा।
3. इस कार्य हेतु जिला स्तर पर आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के जिला रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) एवं उप निदेशक/ सहायक निदेशक नोडल अधिकारी होंगें तथा सूचना एवं प्रौधोगिकी विभाग के एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/उप निदेशक नोडल अधिकारी होंगे।
4. पंचायत स्तर पर ब्लाक सांख्यिकी अधिकारी ब्लाक के नोडल अधिकारी होंगें। संगणक एवं सूचना सहायक (आईए) सहायक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगें। इस कार्य हेतु आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के संगणक तथा सूचना एवं प्रौधोगिकी विभाग के सूचना सहायक ग्राम पंचायत से समन्वय कर यह सुनिश्चित करेंगें कि प्रत्येक रजिस्ट्रार नजदीकी सीएससी/ई–मित्र पर जाकर पहचान वेब पोर्टल के माध्यम से दिये गये यूजर आईडी पासवर्ड से लोगइन कर अपनी उपस्थिति में रिकार्ड की प्रविष्टियां दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगें। जहां पर नजदीक में सीएससी/ई–मित्र की सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां भारत निर्माण सेवा केन्द्र के द्वारा उक्त कार्य संपादित करवाया जायेगा इस कार्य हेतु महारजिस्ट्रार कार्यालय भारत सरकार द्वारा प्रति रिकार्ड अधिकतम 2.50 रू की दर निर्धारित की गई है। सूचना एवं प्रौधोगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक से चर्चा उपरांत इस राशि का विभाजन सीएससी/ई–मित्र/एलएसपी के मध्य निम्न प्रकार से प्रस्तावित किया गया है। सीएससी/ई – मित्र रू. 2.25/एलएसपी रू. 0.25/
5. यह उचित रहेगा कि उक्त कार्य सुचारू एवं नियमित संपादित करने हेतु एक रजिस्ट्रार के लिए एक सीएससी/ई–मित्र चिन्हित करली जावे।

6. कार्य विवरण :–

1.प्रत्येक रिकार्ड की डाटा ऐन्ट्री

2.रिपोर्टिंग फार्म की स्केनिंग तथा अपलोडिंग

3.विलंबित श्रेणी रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत जारी अनुज्ञा पत्रों (शपथ पत्र सहित)की स्केनिंग एवं अपलोडिंग।

7. **सत्यापन :–** दर्ज किये गये रिकार्ड को संबंधित रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) सत्यापित करेगा कि रिकार्ड सही एवं पूर्ण रूप से दर्ज किया गया है तत्पश्चात ही वेबपोर्टल पर ऑन लाईन हो सकेगा।।

8. **भुगतान की प्रकिया:–** रजिस्ट्रार द्वारा वेबपोर्टल के माध्यम से अप्रूवड रिकार्ड की माहवार रिपोर्ट तैयार की जायेगी। तथा एलएसपी/एससीएस अपना माहवार बिल तैयार कर भुगतान हेतु राजकोम को प्रस्तुत करेगा।

9. **अनअप्रूवड दर्ज रिकार्ड की कार्यवाही :–** जो रिकार्ड पूर्ण रूप से नहीं भरे गये हैं अथवा जिनकी स्केन्ड कोपी अपलोड नहीं की गई है उनको अनअप्रूवड माना जायेगा, तथा आगामी माह में उस रिकार्ड को पूर्ण कर अपलोड करने की कार्यवाही संबंधित नोडल/सहायक नोडल/रजिस्ट्रार द्वारा करवाना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. **दर्ज किये गये रिकार्ड के एप्रूवड की सुनिश्चितता–** दर्ज किये गये रिकार्ड का साप्ताहिक रूप से अप्रूवड किया जाना संबंधित नोडल अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

11. **यूजर आईडी पासवर्ड–** इस कार्य हेतु सभी सीएससी/ई–मित्र को संबंधित एलएसपी/एससीएस के माध्यम से यूजर आईडी तथा पासवर्ड एनआईसी द्वारा जारी किया जायेगा।

12. **प्रशिक्षण–** इस कार्य हेतु जिला स्तर पर पदस्थापित उप निदेशक/सहायक निदेशक (33),एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (33) ब्लाक स्तर पर संगणक (248)सूचना सहायक (248) को आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, द्वारा एनआईसी के माध्यम से संभागवार एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सुनिश्चित किया जायेगा।

To: Director, Statistics

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

# GOVERNMENT OF RAJASTHAN
## Department of Information Technology & Communication

**F. No: F5(373) DOIT/Tech/09 Part II/I/16680/2014** **Dated:** 24/02/2014

Nodal Officers (ACP/Programmers/AP/IA)
District e-Governance Societies
District Collectorate
All Districts

**Sub: Digitisation & Scanning of Records for Registration of Death and Birth**
**Ref: Letter no. 5939 dated 12/2/14**

Sir/Madam,

This is with reference to the subject mentioned. As you are aware Department of Economics & Statistics has initiated the digitization and scanning of death and birth records on their web portal. These records will enable delivery of digitally signed copies of Death and Birth certificates through e-Mitra and CSC network.

The task of digitizing and scanning of these records has been assigned to CSC and e-Mitra kiosks at the rate of Rs 2.50/- per record. Copy received from Department of Economics and Statistics is enclosed herewith for ready reference.

Therefore, you are requested to ensure that the records are entered timely. Also, as you are aware IT centres set up in *Bharat Nirman Sewa Kendras* and at District Collectorate offices are fully equipped with IT infrastructure and are having adequate internet connectivity, therefore, it is proposed that digitization and scanning of records can be done at these IT centres located at Gram Panchayats and Panchayat Samities.

Yours sincerely,

(R K Sharma)
SA (Jt. Director) DoIT&C

**Copy to the following for information:**

1. PA to Collector & Chairman, DeGS, All Districts
2. Director & Ex-officio Joint Secretary, Department of Economics & Statistics, Yojana Bhawan, Jaipur
3. All LSPs and SCAs
4. Guard File

ACP (Dy. Dir.), DoIT&C